है । ट्रेनिंग किस प्रकार की देते हैं इसके लिये आई०टी०आईज हैं । उनको कपड़ा बुनने की ट्रेनिंग देते हैं, दरी बनाने की ट्रेनिंग देते हैं । हथकरघा के काम, इस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वे आसानी से काम कर सकें और अपनी आजीविका कमा सकें । इसके लिये स्कीमें हैं । भारत सरकार की तरफ से पैसे रखे हुये है । स्टेट्स को बाकायदा भारत सरकार ने लिखा है कि स्टेट्स इसमें पूरी रुचि लें और भारत सरकार के अधिकारी समय-समय पर जाकर इसको देखते भी हैं कि जो टारगेट हमने फिक्स किये हैं क्या वे पूरे हो रहे हैं या नहीं, जितने नौजवानों को, हरिजनों को, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को, महिलाओं को जितना हक मिलना चाहिए उसके मुताबिक उनको हक दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है । उस पर पूरी कार्यवाही करते है । उस पर कार्यवाही करते हैं और चैक करते हैं । फिर भी अगर कहीं बहन जी को शिकायत हो, तो वह लिखकर भिजवायें उसको भी हम जरूर दिखवायेंगे ।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : सर, माननीय मन्त्री जी ने आंकड़े महिलाओं के बारे में तो दे दिये, मगर मुझे एक स्पेसेफिक सवाल करना है कि जैस अनएम्प्लायमेंट की जो लिस्ट है वह साल के साल बढ़ती ही जा रही है और खास तौर पर रूरल एरियाज के अंदर अनएम्प्लायमेंट की समस्या सरकार के सामने बहुत गम्भीर है । तो इन चीजों को सामने रखते हुये सरकार ने एक नई मिनिस्ट्री फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज की, तो क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रही है ताकि जो ट्रेनिंग वह दे उन लोगों को उस नई फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंदर जो भी इंडस्ट्री लगेगी या जो भी कारखाने लगेंगे उसमें मौके मिल सकेंगे ?

श्री भजन लाल : माननीय सभापति महोदय, बहन जी ने बड़ा वैलिड सवाल किया है और यह अच्छी बात है और इसमें थोड़ा वजन भी है तथा इसकी अहमियत भी है वह इसलिये है, चेयरमैन साहब, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त की अपनी स्पीच में लाल किले की प्राचीर से इस बात की घोषणा की कि देश के अंदर बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना है और कांग्रेस अधिवेशन जो मद्रास में हुआ उसमें भी हमारी पार्टी ने बेकारी दूर करने की बात कही ।... (**व्यवधान**)...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, मेरी आपत्ति है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, यह तो पूरे देश का सवाल है, यह तो पूरे देश की बेकारी का सवाल है ।... (**व्यवधान**)

श्री भजन लाल : महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मिनिस्ट्री की मशा यही है कि देहात के अन्दर जो बेरोजगारी है उन बेरोजगार लोगों को काम पर लगाया जाए । ... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : इनका एक छोटा सा सवाल है कि जो आप ट्रेनिंग दे रहे है इस तरह की ट्रेनिंग देने का क्या इंतजाम करेंगे कि कि वह लोग नई फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री में लागये जा सकें ?

श्री भजन लाल : महोदय, यह सारी ट्रेनिंग होती है लेकिन फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज का एक नया महकमा प्रधान मंत्री जी ने चालू किया है और हम चाहते हैं कि उसमें बाकायदा देश का नौजवान लगे और उससे किसानों की आर्थिक हालत सुधरे । देहात में बसने वाला जो आम आदमी है जिसके पास रोजगार नहीं है उसको भी उससे रोजगार मिले और किसानों की उपज के दाम भी किसानों को ज्यादा मिलें ।

श्री सभापति : क्वेश्चन न० 322

Indira Gandhi Awas Yojna in Uttar Pradesh

*322 DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the areas identified by Government to implement housing programme for the backward classes and bonded labour under the Indira Gandhi

Awas Yojna in Uttar Pradesh during the last year and so far during the current year; and

(b) the amount allotted for implementation of this scheme in Uttar Pradesh during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The amount (cash component) allotted to Uttar Pradesh for Indira Awaas Yojana during 1987-88 was Rs. 21.92 crores. The amount (cash component) allotted to Uttar Pradesh for 1988-89 is Rs. 21.95 crores. With these allocations, approximately 25,900 houses can be constructed each year. The Union Government allocates the founds to the State Government who are to implement the Indira Awaas Yojana in accordance with the Central guidelines. The guidelines prescribe the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and freed bonded labourers as the target group of the Indira Awaas Yojana. The houses built under the programme are normally located in the areas where there is a concentration of landless labour belonging to SC|ST community. The guidelines also require the construction of houses to be taken up in each community development block in suitable clusters on the basis of 40 houses per block every year subject to the availability of funds. According to the information furnished by the Uttar Praesh Government, construction of houses under the Yojana has been taken up in all the districts of the State.

DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Sir, may I know the number of houses actually constructed during the year 1987-88, and the number of houses actually allotted to the persons concerned.

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : आपने देश के बारे में पूछा है या उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है ? वैसे मेरे पास दोनों ही हैं ।

डा० एम० हाशिम किदवई : उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है ।

श्री भजन लाल : चेयरमैन साहब, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है वर्ष 1987-88 में हमने अब जो मकान बनाए उत्तर प्रदेश में 67367 मकान बना कर तैयार किए हैं ।

श्री सभापति : लास्ट ईयर ?

श्री भजन लाल : 1986 और 1987 दोनों सालों में ।

डा० एम० हाशिम किदवई : एक्चुअली अलाट कितने हो चुके है ?

श्री भजन लाल : यह जो मकान बनाते हैं उस समय बाकायदा पहले उनसे तय करके कि किस-किस को यह मकान देना है, क्योंकि मकान तो फ्री है चार्जेज करने का सवाल नहीं, सारा सब्सीडाइज्ड करके जमीन भी फ्री है और यह दस हजार से बारह हजार तक एक मकान पर जो पैसा लगता है सारा फ्री देते हैं । बल्कि बनने से पहले उसको ओकोपाई करने की कोशिश करते हैं । माननीय सदस्य के ध्यान में अगर कोई ऐसी बात आई हो कि ठीक आदमी को नहीं मिले या अगर कहीं कोई पेंडिंग है, तो वह हमारे नोटिस में लायें उस पर हम कार्यवाही करायेंगे ।

श्री सभापति : आप दूसरा सप्लीमेंटरी नहीं पूछ रहे । श्री शांति त्यागी ।

डा० एम० हाशिम किदवई : चेयरमैन सर, मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे ...

श्री सभापति : अब छोड़िए । आप भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न ।

श्री शान्ति त्यागी : अध्यक्ष जी, इन मकानों के निर्माण में जो मेटेरीयल लगा है

बहुत रद्दी है । मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे ग्राम-सभाओं को यह आज्ञा दें कि इनके निर्माण को वे अपने हाथ में लें । अभी जो है, सरकारी विभाग यह निर्माण कर रहे हैं । तो क्या आप यह निर्माण कार्य पंचायतों को देंगे ?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, यह बाकायदा पंचायत समिति, वहां की स्टेट गवर्नमेंट इसको देखती है और कहीं भी अगर कोई घटिया मेटेरीयल की शिकायत हो तो बतायें । अभी तक हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है ।... (**व्यवधान**)... हमारे पास नहीं पहुंची है कोई ऐसी शिकायत । अगर किसी भी माननीय सदस्य को शिकायत हो कि मेटेरीयल घटिया लगा है, लिखकर भिजवा दें, बाकायदा उसकी जांच होगी और जो भी दोषी व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी । लेकिन आप जानते हैं कि यह सारी बातें स्टेट गवर्नमेंट के अन्डर आती हैं और उनका कर्त्तव्य बनता है कि उसको देखकर के मेटेरीयल ठीक लगवायें और टाइम पर बाकायदा उसको एलोट भी करें ताकि किसी को भी इसके बारे में शिकायत न हो । अगर कोई शिकायत है तो आप हमारे ध्यान में लाएं क्योंकि पैसा भारत सरकार यहां से देती है, इसलिये उसका कर्त्तव्य है कि यह देखे कि पैसा ठीक से लग रहा है या नहीं लग रहा है । अगर कहीं कोई शिकायत हो तो बताएं, हम इंक्वायरी करके कार्यवाही करेंगे ।

श्री शान्ति त्यागी : आप ग्राम-पचायत को अधिकार देंगे या नहीं देंगे ?

श्री भजन लाल : ग्राम पंचायत इसको नहीं बना पायेंगी । आप जानते हैं, आप जानते हैं, हमेशा बहुत सी शिकायतें रहती है, बड़ी पार्टीबाजी आपस में होती है। अगर वह सही काम भी करेंगे तो भी कहेंगे सही काम नहीं किया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय सभापति जी, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1987-88 में जो उत्तर प्रदेश के लिए 21 करोड़ 92 लाख रुपया मकान बनाने के लिए रखा गया था, वह पूरा रुपया यूटीलाइज हो गया या नहीं और कितने मकान अभी तक कंपलीट हो चुके हैं ? मान्यवर, जैसा कि माननीय शांति त्यागी जी ने यह कहा था कि उनमें मेटेरीयल खराब लग रहा है, मैं शत-प्रतिशत यह शिकायत करता हूं, शत प्रतिशत, कि उनमें ईंट जिस प्रकार की लगाई गई है, वह निम्न दर्जे की, तीसरे दर्जे की लगी है, सीमेंट भी ठीक नहीं है, किसी भी जगह जाकर मंत्री जी देख लें, या दिखवा लें और मान्यवर, यह जितना रुपया आप देते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है या सेंटर ही पूरा का पूरा रुपया इन स्कीमों के लिए देता है ?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, सारा पैसा भारत सरकार देती है और जैसा इन्होंने कहा कि कुछ जगह शिकायत है कि ईंट ठीक नहीं लगी । वर्मा जी उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं, बहुत पुराने सीनियर मेम्बर हैं, कभी इन्होंने लिखकर शिकायत नहीं की । आज पहली बार इन्होंने यह कहा है । अभी तक आपने भारत सरकार को कोई शिकायत लिखकर नहीं भेजी ।

श्री सभापति : आप लिखकर भेज दें दो-चार जगह का, जहां शिकायत है ।

श्री भजन लाल : जी हां, लिखकर भिजवा दें कौनसी जगह पर हैं । अब उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रांत है, 1/5 हिंदुस्तान है, आप लिखकर भिजवा दें कि फलां जगह गड़बड़ है तो उसकी बाकायदा जांच करवायेंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : कितने मकान बनाए हैं ?

श्री भजन लाल : अभी मैंने आपको बताया, शायद आपने सुना नहीं, टोटल उत्तर प्रदेश में 67,367 मकान बने और सारे के सारे एलोट हो चुके हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश में 25,900 हाउसेस केन बी कंस्ट्रेक्टेड ईच ईयर.... (**व्यवधान**)...

श्री भजन लाल : आपको मैंने टोटल बताया है उत्तर प्रदेश का 85–86 से ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : यानी कितने साल का ?

श्री भजन लाल : 85–86, 86–87 और 87–88 तीन साल का टोटल बताया ।

श्री सभापति : जमीन तो राज्य देता है ?

श्री भजन लाल : जमीन स्टेट गवर्नमेंट फ्री देती है ।

श्री सभापति : और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपना पैसा खुद भी लगा सकती है ?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं भारत सरकार की नीति के तहत जो गरीब लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, उनके लिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि सौ गज और पचास गज के प्लाट वहां की स्टेट गवर्नमेंट को देने चाहिए ताकि गरीब आदमी सिर छुपाने के लिए मकान बना सके और जिन लोगों के पास मकान बनाने के साधन नहीं है, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिनकी आमदनी 6,400 से कम है । उन लोगों को फ्री मकान बनाकर देने का फैसला भारत सरकार ने किया है जिस पर 124 करोड़ रुपया हर साल भारत सरकार खर्च करती है । उसमें से 22 करोड़ रुपया अकेले उत्तर प्रदेश के लिए है इस साल में ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : आदरणीय सभापति महोदय, यह वाकयी बहुत अच्छी योजना है । यह सराहनीय कार्य हमारी सरकार कर रही है कि वह बंधुआ मजदूर और पिछड़े वर्गों के लिए मकान बना रही है । उत्तर प्रदेश में 67 हजार मकान बनवाए गए, यह एक बहुत ही सराहनीय बात है । लेकिन अभी हाल में पता चला है कि जो धनराशि आप देते हैं वह इतनी कम है कि शायद अब मकान बनने में दिक्कत आ रही है । आप शायद 2500 रुपए देते है, लेकिन 2500 रु० में तो एक कमरा भी बनाने में कठिनाई आती है । तो एक बात मुझे यह जाननी है कि क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? दूसरे यह सुनने में आया है कि जो पैसा इस तरह गैर कांग्रेसी सरकारों को दिया गया है, वे उसका दुरुपयोग कर रही हैं ?

श्री सभापति : यह उत्तर प्रदेश का सवाल है ?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय ढाई हजार की राशि की नहीं है । उत्तर प्रदेश में 25 हजार मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । ये एक साल में बनाने है और 25 हजार के लिए 22 करोड़ रुपया दिया है । जो तकरीबन एवरेज 10 हजार में कम यानी साढ़े 9 हजार से ऊपर पड़ता है । इस तरह साढ़े 9 हजार रुपए में सरकार मकान बनाकर देती है । लेकिन कुछ एरिया ऐसे है जो पहाड़ी के ऊपर हैं या दूर स्थित है, वहां करीब 10 हजार से साढ़े 12 हजार तक एक मकान पर खर्च आता है । और यह सारा पैसा भारत सरकार मंजूर करती है

श्री पशुपति नाथ सुकुल : दूसरे प्रदेशों में दुरुपयोग की कुछ शिकायतें हैं ?

श्री भजन लाल : इसे हम लिखवाएंगे । किसी की शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर माननीय सदस्य को शिकायत हो कि फलां प्रदेश में पैसा ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वे लिखकर भिजवाएं हम उसकी जांच करवाएंगे ।

श्री कपिल वर्मा : सभापति महोदया, अभी तक 87–88 का जिक्र हुआ है । 88–89 के फिगर्स नहीं आए हैं । उस वर्ष के लिए क्या टार्गेटस है । कितने मकान बनाए जाएंगे और उस में से कितने बने हैं ? क्या सरकार को इसके बारे में सूचना है कि इस स्कीम के तहत उन्होंने कितनी लैंड एक्वायर की है और बाउंडेड लेबर को इससे फायदा पहुंचा है ?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, सारे देश में 124 करोड़ रुपया 88–89 के लिए रखा है । इस योजना का नाम इंदिरा गांधी आवास योजना है । यह इंदिरा गांधी की स्कीम थी । इसे हम ने इंदिरा जी के नाम पर चलाया है ताकि गरीब आदमी को मकान मिल सके । उस स्कीम के तहत 124 करोड़ रुपया रखा है और हमारी कोशिश है कि 1988–89 के साल में 1,30,000 मकान

हर हालत में देश के अंदर बनने चाहिए ताकि गरीब लोग उन में रह सकें। ऐसी हमारी योजना है।

श्री कपिल वर्मा : माननीय, बांडिड लेबर की संख्या क्या है?

श्री भजन लाल : बांडिड लेबर भी इसमें शामिल है।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन्दिरा गांधी आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार का सारा पैसा मकान बनाने में लगता है और उसको बनाने की सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों पर है और आपने अभी देखा कि कई माननीय सदस्यों ने इसकी शिकायत भी की कि इसमें तमाम खराब मैटेरियल लगता है और बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब पैसा आप लगाते हैं तो कोई केन्द्रीय स्तर पर उस कार्य की समीक्षा के लिए कोई मॉनिटरिंग स्कीम आपकी है और है तो आपने कितनी अब तक जांच पड़ताल की है पिछले वर्ष में।

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, मैटेरियल की शिकायत अभी हमारे पास आई नहीं है और यह बात ठीक है कि पैसा भारत सरकार का है और मॉनिटर भी हमको करना चाहिए। मॉनिटर हम समय-समय पर करते हैं कि जितना पैसा दिया जिस प्रदेश को वह पैसा ठीक तरह से खर्च हो रहा है या नहीं। टारगैट जो मकान बनाने का था वह पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकायदा टारगैट पूरा करने की हम कोशिश करवाते हैं और जो स्टेट नहीं करती है उसको अगले साल के लिए पैसा कम देते हैं ताकि वह अपना पिछला टारगैट पूरा करे ताकि आगे उसे हम पैसा दे सकें।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : मॉनिटरिंग स्कीम है आपके पास या नहीं।

श्री सभापति : वह कह रहे हैं कि है।

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM: Sir, we welcome this scheme. The name of the scheme is Indira Gandhi Awas Yojna. Under this scheme, the hon. Prime Minister recently opened nearly 2000 houses in Tamil Nadu. It was not done under Indira Gandhi Awas Yojna. It was called Kamraj Housing Scheme. I congratulate the Government. I welcome this thing. I would like to ask the hon. Minister whether they will allow the other State Governments to name such schemes after their leaders instead of calling them Indira Gandhi Awas Yojna. You have permitted the Tamil Nadu Government to call it Kamaraj Housing Scheme.

SHRI V. NARAYANASAMY: That is a separate scheme.

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM: Sir, I seek your protection. In Tamil Nadu, it is not Indira Gandhi Awas Yojna. It is Kamaraj Housing Scheme. I welcome it. I congratulate the Government for it. My question is whether you will allow the other State Governments to name such schemes after their own leaders. In the advertisement, it has not been named as Indira Gandhi Awas Yojna. It is named as Kamaraj Housing Scheme.

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी देश की महान नेता थी। माननीय कामराज जी देश के महान नेता, महान सपूत थे और किसी भी महान सपूत का अगर कोई नाम आए और कोई स्कीम बनाकर स्टेट गवर्नमेंट भेजे तो भारत सरकार जरूर उसको कन्सिडर करेगी।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I would like to know from the hon. Minister whether the Government proposes to make housing for the poor an integral part of flood and drought relief measures with various self-employment schemes so as to draw more resources into this vital sector.

Sir, Tamil Nadu has launched a major housing scheme for the poor. Are there plans to start similar schemes in other States also? Does the Government have plans to help the poor in maintaining and rebuilding their dwellings to prevent these houses from coming down?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय इस में बाढ़ का सवाल नहीं है यह योजना अलग है बाढ़ कहीं आ जाए, नुकसान हो जाए तो उसके लिए अलग से सहायता देने के लिए भारत सरकार के नार्म्स बने हुए हैं। बाढ़ से मकान गिर गया, खराब हो गया, मरम्मत करनी है या नया बनाना है तो उसके लिए भारत सरकार सहायता देती है। यह स्कीम गरीबों के लिए है कि जो लोग परमेनेंटली गरीबी की रेखा के नीचे चले आ रहे हैं, उनको मकान देने का जो गांधी जी का सपना था उसको इंदिरा गांधी जी ने चालू किया और आज की सरकार चाहती है कि देश के अंदर कोई भी आदमी ऐसा न हो जिसके सिर ढांपने के लिए मकान न हो या पहनने के लिए कपड़ा न हो। उनके लिए यह योजना है और सारे देश में चालू है। उसके तहत भारत सरकार ने इस साल भी 124 करोड़ रुपया रखा है।

डा. (श्रीमती) सरोजिनी महिषी : सभापति महोदय, इन घरों का एस्टिमेट तैयार करने में कौन सा साल बेसिक इयर माना जाता है और घरों के बनते बनते जो कीमत बढ़ती है, कास्ट एस्कैलेशन होता है उसमें कितना डिफरेंस आ गया और उसकी वजह से घरों की संख्या में कितनी कमी हुई ?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, यह बात तो इनकी ठीक है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम तैयार करें तो उसकी जो कास्ट लगेगी अगर तीन साल में वह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो उसकी कीमत में अंतर आएगा, कीमत बढ़ेगी। लेकिन भारत सरकार बढ़ी हुई कीमत को सामने रखकर प्रान्तीय सरकारों को पैसा देती है ताकि जो नार्म्स हैं, जो नक्शे बने हुए हैं उसके मुताबिक मकान बन सकें और उसके मुताबिक ही सरकार टाइम पर उनको पैसा देती है।

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी : मैंने पूछा था कि कौन सा इयर बेसिक इयर मानकर एस्टिमेट बनाया जाता है जिसके आधार पर सहायता मिलती है।

श्री भजन लाल : हर साल होता है, जैसा कि इस साल में बना रहे हैं तो इसी साल का माना जाएगा और अगले साल के लिए बनाना है तो वह फर्क बढ़ाकर देते हैं और फिर जो उसका कास्ट आता है वह माना जाता है।

डा. जगन्नाथ मिश्र : महोदय, म मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार की एक स्कीम है गह स्थल विकसित योजना और भारत सरकार की योजना है इंदिरा आवास योजना तो क्या यह संभव है कि जो गृह स्थल योजना हैं वैसी जगहों पर इंदिरा आवास योजना आरंभ की जाए? दूसरा, क्या मंत्री महोदय को मालम है कि जिस मुक्त भूमि पर ऐसे आवास बनाए जा रहे हैं वहां हरिजनों और दूसरे गरीब लोगों को जाने के लिए आकर्षित नहीं किया जाता? क्या यह संभव है कि जिस भूमि पर वे रह रहे है उसी स्थान पर उनको आवास दिए जाएं या बनाए जाएं जिससे कि उनको अपनी खानदानी जगहों पर ही उनको रहने का मौका मिले क्योंकि सरकार द्वारा निर्मित योजनाओं में वे जाने के लिए तैयार नहीं होते?

श्रीमन एक प्रश्न और उठता है कि क्या मंत्री महोदय गुणात्मक रूप से ऐसे आवासों को आंकने और जांचने की कोशिश करेंगे कि 10 या 11 हजार की जो बात उन्होंने उठाई है, मैंने जो व्यक्तिगत जानकारी ली है उसके अनुसार मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बिहार के बहुत से जिलों में पिछले एक वर्ष में ये आवास ध्वस्त हो गये हैं या हो जाते

हैं और जो सरकार का पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी योजनाओं पर फिर से विचार किया जाएगा अन्यथा करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग होगा।

श्री राम अवधेश सिंह : उनके लिए कबतरखाना बन रहा है जैसे कि भेड़ बकरी के लिए हो।

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, इन्होंने दो बातें कहीं माननीय जगन्नाथ मिश्र जी ने एक तो उन्होंने कहा कि हरिजन जहां रहते हैं वहीं उनको मकान बनाकर देना चाहिए। यह संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि जहां वे रहते हैं वहां कुछ न कुछ तो उनका मकान बना हुआ है। फिर उस सारे मकान को गिरायें। बनने में भी कुछ समय लगता है इतने दिन कहां रहे एक यह समस्या उसके सामने है और दूसरे भारी भीड़ का एरिया होता है। सरकार की नीति यह है कि एक-एक करके मकान न बनाया जाए। कम से कम 20 तो बनायें ही जायें। नहीं तो अलबत्ता स्कीम यह है कि 40 मकान होने चाहियें। 40 घरों की एक जगह हो ताकि पूरी एक छोटी सी कालोनी हो जाए। उसमें सड़क भी होनी चाहिये, बिजली भी होनी चाहिये, पीने के पानी का बंदोबस्त भी होना चाहिये यानी सारा इंतजाम करते हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : एक बरसात से दूसरी बरसात...

श्री भजन लाल : इन्होंने कहा कि दस शिकायतें आयी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की कई स्कीमें हैं। एक हुडको की है, हाऊसिंग बोर्ड भी मकान बनाता है उसकी भी एक स्कीम है। अब पता नहीं कहां से शिकायत इनके पास आई है। भारत सरकार जब पूरा पैसा देती है और उसके बाद शिकायत आये कि मैटीरीयल ठीक नहीं लगता या मकान गिर गया तो हमारे नोटिस में लायें हम इक्वायरी करायेंगे और जैसा मैंने पहले कहा कार्यवाई करेंगे।

श्री सभापति : थोड़ा सा इनको लिख कर भेज दीजिये।

श्री भजन लाल : आप लिखकर भिजवा दें उसकी जरूर जांच करवायेंगे।

डा. जगन्नाथ मिश्र : हरिजनों के मकानों की बात है... **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह : बिहार में जाने के लिये पासपोर्ट तो नहीं लगता आप चल कर देख सकते हैं। आप चलिये हमारे साथ।

श्री सभापति : आप हाऊस में रहते हैं तो पूरा काम रुक जाता है। बार-बार उचकते रहते हैं। आप बैठ जाइये।

Complaints before National Consumer Disputes Redressal Commission

*323. SHRI V. GOPALSAMY:†
SHRI T. R. BALU:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the number of applications/complaints received by the National Consumer Disputes Redressal Commission so far;

(b) whether Commission has acknowledged any of these complaints; if not, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to dispose of the complaints received by the Commission?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SUKH RAM): (a) to (c) As on 13th August, 1988, the National Consumer Disputes Redressal Commission has received 126 complaints/applications. All these complaints/applications have been acknowledged by the Commission. The subject matter of each of these complaints is below Rs. 1.00 lakh in value

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri V. Gopalsamy.